माल एव सेवाकर (जी.एस.टी.) के आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF GOODS & SERVICES TAX (GST)
एन-5, टाऊन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद - 431003
N-5, TOWN CENTRE, CIDCO, AURANGABAD - 431003
फोन/PHONE: 0240-2484975 फैक्स/FAX : 0240-2483303
वेबसाईट/Website: http://www.centralexciseaurangabad.gov.in ई-मेल/E-Mail: cexauran@excise.nic.in

Trade Facility No. 03/2017

विषयः– माल या यात्रियों का वहन करने के लिए या मरम्मत या अनुरक्षण के लिए परिवहन के विभिन्न ढंगो के अंतर्राज्यिक संचल पर स्पष्टीकरण – के संबंध में ।

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार के वित मंत्रालय राजस्व विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र सं. 1/1/2017–IGST दिनांक 07.07.2017 फा.सं 354/119/2017–TRU (Pt) के तहत जारी परिपत्र की प्रतिलिपी सूचना, मार्गदर्शन एवं कार्रवाई के लिए प्राप्त करे।

सभी संबंधित संगठनों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र की जानकारी अपने सभी सदस्य निर्माताओं और व्यापारियों को दें ।

संलग्न :- ऊपरोक्त अनुसार.

Sd/12.08.2017
(श्रीकांत पाटील)
आयुक्त

फा. सं. VGN(30)03/GST/TN//17-18
औरंगाबाद दिनांक 12/08/2017

प्रतिलिपि प्रेषित :– मुख्य आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क नागपूर ।
:– उप/सहायक आयुक्त सभी मंडल प्रभारी तथा आय.सी.डी.
:– सभी अनुभाग प्रमुख मुख्यालय ।
:– डाक सूची के अनुसार ।

Attested

सहायक आयुक्त (तकनीकी)
Assistant Commissioner (Technical)
माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) आयुक्तालय
Goods & Services Tax (G.S.T.) Commissionerate
औरंगाबाद/Aurangabad.

F. No. 354/119/2017 –TRU (Pt)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Tax Research Unit

North Block, New Delhi
Dated the 7th of July, 2017

To,

The Principal Chief Commissioner/Chief Commissioners/ Principal Commissioner/ Commissioner of Central Tax (All) / Director General of Systems

Subject: Clarification on Inter-state movement of various modes of conveyance, carrying goods or passengers or for repairs and maintenance- regarding.

The issue relating to levy of IGST exemption on inter-state movement of various modes of conveyance, carrying goods or passengers or for repairs and maintenance, between distinct persons as specified in section 25(4) of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, carrying goods or passengers or both; or for repairs and maintenance, [except in cases where such movement is for further supply of the same conveyance] has been examined.

2. In the above context, the legal provisions in GST laws are as under:

a) As per section 24 (1) (i) of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, persons making any inter-State taxable supply shall be required to be registered under this Act.
b) As per section 25(4) of the said Act a person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one State or Union territory or more than one State or Union territory shall, in respect of each such registration, be treated as distinct persons for the purposes of this Act.
c) Schedule I to the said Act specifies situations where activities are to be treated as supply even if made without consideration which also includes supply of goods or services or both between related persons or between distinct persons as specified in section 25, when made in the course or furtherance of business
d) Section 7 (2) envisages that activities or transactions undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as *public authorities*, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of services.

3. Against the above background, the issue of inter-state movement of goods like movement of various modes of conveyance, between distinct persons as specified in section 25(4) of the said Act, not involving further supply of such conveyance, including-

i. Trains,
ii. Buses,
iii. Trucks,

iv. Tankers,
v. Trailers,
vi. Vessels,
vii. Containers,
viii. Aircrafts,

(a) carrying goods or passengers or both; or (b) for repairs and maintenance, [except in cases where such movement is for further supply of the same conveyance] was discussed in GST Council's meeting held on 11th June, 2017 and the Council recommended that such inter-state movement shall be treated 'neither as a supply of goods or supply of service' and therefore not be leviable to IGST.

4. In view of above, it is hereby clarified that "the inter-state movement of goods like movement of various modes of conveyance, between distinct persons as specified in section 25(4) of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, including the ones specified at (i) to (viii) of para 3, may not be treated as supply and consequently IGST will not be payable on such supply.

5. However, applicable CGST/SGST/IGST, as the case may be, shall be leviable on repairs and maintenance done for such conveyance.

(Ruch Bisht.)
Under Secretary (TRU)

परिपत्र सं. 1/1/2017 -आईजीएसटी

फ.सं. 354/119/2017- टीआरयू
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
कर अनुसंधान एकक

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
तारीख 7 जुलाई, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर (समस्त) /प्रणाली महानिदेशक

विषय : माल या यात्रियों का वहन करने के लिए या मरम्म या अनुरक्षण के लिए परिवहन के विभिन्न ढंगों के अंतर्राज्यिक संचल पर स्पष्टीकरण – के संबंध में।

माल या यात्रियों का वहन करने के लिए या मरम्मत या अनुरक्षण के लिए केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 25(4) में यथा विनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के बीच परिहन की विभन्न रीतियों से अंतर्रराज्यिक संचलन पर एकीकृत माल और सेवा कर के उद्ग्रहण की छूट का मुद्दा, जो माल या यात्री या दोनों का परिवहन कर रहे हैं; या मरम्मत या अनुरक्षण कर रहे हैं [उन मामलों के सिवाय जहां ऐसा संचलन उसी परिवहन की और पूर्ति के लिए है] की जांच कर ली गई है।

2. <u>पूर्वोक्त परिप्रेक्ष्य में माल और सेवा कर विधियों में विधिक उपबंध नीचे दिए अनुसार है:</u>

क) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24(1) (i) के अनुसार अंतर्राज्यिक कराधेय पूर्ति करने वाले व्यक्तियों से इस अधिनियम के अधीन राजस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा।

ख) उक्त अधिनियम की धारा 25(4) के अनुसार कोई व्यक्ति, जिसने रजिस्ट्रीकरण अधिप्राप्त कर लिया है या जिससे एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, चाहें एक राजय या संघ राज्य क्षेत्र में या एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में वह प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुभिन्न व्यक्ति माना जाएगा।

ग) उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 उन स्थितियों को विनिर्दिष्ट करती है, जिनमें कार्यकलापों को पूर्ति माना जाएगा, चाहें बिना किसी प्रतिफल के की गई हो, जिसके अंतर्गत नातेदार व्यक्तियों या सुभिन्न व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं की पूर्ति भी है, जैसा कि धारा 25 में विनिर्दिष्ट है, जब वह कारबार का अग्रसर करने के अनुक्रम में की जाए।

घ) धारा 7(2) परिकल्पित करती है कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यकलाप या संव्यवहार, जिनमें वह लोक प्राधिकारी के रूप में लगे हुए हैं, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किए जाएं, को न तो माल की पूर्ति न ही सेवाओं की पूर्ति माना जाएगा।

3 पूर्वोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राज्यिक माल के संचलन का मुद्दा, जैसे कि उक्त अधिनियम की धारा 25(4) में यथा विनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के बीच परिवहन के विभिन्न ढंग, जिसमें ऐसे परिवहन की ओर पूर्ति अंतर्वलित नहीं है, जिसके अंतर्गत-

i. रेलगाड़ी,

ii. बस,
iii. ट्रक,
iv. टैंकर,
v. ट्रेलर,
vi. जलयान,
vii. कंटेनर,
viii. वायुयान

(क) जो माल या यात्रियों या दोनों का वहन कर रहे हैं; या (ख) मरम्मत और अनुरक्षण के लिए [उन मामलों के सिवाय जहां ऐसा संचलन उसी परिवहन की और पूर्ति के लिए है] पर 11 जून, 2017 को आयोजित माल और सेवा कर परिषद् की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था तथा परिषद् ने सिफारिश की कि ऐसे अंतर्राज्यकि संचलन को 'न तो माल या सोवा की पूर्ति' माना जाएगा और इसलिए वह एकीकृत माल और सेवा कर एसे उद्ग्रहणीय नहीं है।

4. पूर्वोक्त के मद्देनजर यह स्पष्ट किया जाता है कि, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 25(4) में यथा विनिर्दिष्ट मालों का अंतर्राज्यिक संचलन जैसे परिवहन की विभिन्न रीतियों से संचलन, सुभिन्न व्यक्तियों के बीच, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के (i) से (viii) यथा विनिर्दिष्ट है, को पूर्ति नहीं माना जाएगा और परिणामस्वरूप ऐसी पूर्ति पर एकीकृत माल और सेवा कर संदेय नहीं होगा।

5. तथापि, यथास्थिति, लागू केंद्रीय माल और सेवा कर/राज्य और माल सेवा कर/एकीकृत माल और सेवा कर ऐसे परिवहन के लिए मरम्मत और अनुरक्षणों पर संदेय होगा।

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार